न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2024	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान बनाम हरबक्स व अन्य किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 47/2018 राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी हरबक्स पुत्र श्योनारायण की मृत्यु हो चुकी है। तहसीलदार नांगल राजावतान को अप्रार्थी के कायम मुकाम की सूचना प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा मृतक अप्रार्थी हरबक्स पुत्र श्योनारायण जाति मीना की फौतगी की रिपोर्ट एवं कायम मुकाम की सूचना पेश नहीं जाने के कारण प्रकरण अनावश्यक रूप से न्यायालय में विचाराधीन है। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध रेफरेन्स प्रकरण चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक अप्रार्थी हरबक्स पुत्र श्योनारायण जाति मीना के वारिसान की जांच कर तलबी हेतु पूर्ण पते सहित संशोधित टाइटल एवं अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2025.01.22 18:09:19 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official